दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 01-08-2025

भास्कर खास बालको ने जीएसटी रिफंड की मांग करते हुए लगाई थी याचिकाएं

टाउनशिप में कर्मचारियों को बिजली की सप्लाई करना बिजनेस का हिस्सा नहीं, बालको की याचिका खारिज

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड यानी बालको की याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। बालको ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) पर करोड़ों रुपए के रिफंड की मांग की थी। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच ने कहा कि टाउनशिप में कर्मचारियों को दी जा रही बिजली की सप्लाई कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों का हिस्सा नहीं मानी जा सकती।

बालको ने हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाई थीं, इसमें दावा किया था कि कोयले का उपयोग करके बिजली उत्पादन किया गया, जिसका उपयोग एल्युमिनियम निर्माण संयंत्र के साथ-साथ कर्मचारियों के लिए टाउनशिप में भी किया गया, इसलिए पूरे कोयले पर चुकाया गया जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में रिफंड योग्य है। वहीं, प्रशासन ने बालको के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि टाउनशिप की बिजली आपूर्ति भी व्यावसायिक गतिविधि का हिस्सा है। राज्य सरकार ने कहा कि टाउनशिप में उपयोग की गई बिजली का हिस्सा आईटीसी के लिए योग्य नहीं है क्योंकि यह व्यावसायिक गतिविधि की परिभाषा में नहीं आता।

कर्मचारी रहेंगे तभी उत्पादन होगा: बालको

बालको की तरफ से दलील दी गई कि कर्मचारियों को आवास सुविधा देना और उन्हें बिजली उपलब्ध कराना कंपनी की व्यावसायिक जरूरत है, विशेषकर कोरबा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में। उन्होंने सीजीएसटी एक्ट की धारा 2(17), 2(59), 2(60) और 16(1) का हवाला देते हुए कहा कि टाउनशिप का संचालन व्यवसाय के क्रम में है और इस पर खर्च किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट योग्य है।

हाई कोर्ट ने नहीं माना व्यावसायिक उपयोग

हाई कोर्ट ने कहा कि 540 मेगावाट संयंत्र से टाउनशिप को दी जा रही बिजली कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधि नहीं मानी जा सकती। आईटीसी का दावा नियमों के तहत ही किया जा सकता है, वह कोई मूल अधिकार नहीं है।